आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म (भाग–दो)

परमिट संख्या 1137/BFT/10/10-11 दिनांक 7/12/12

सेवा में,

श्री/श्रीमती प्रदीप कुमार, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री घनश्याम दास

निवासी D-67 कमलानगर – आगरा

ग्रुप हाउसिंग आवासीय हेतु।

भवन मानचित्र स्वीकृति की शर्तें

निर्माण स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन ही जारी की जा रही है।

(क) किया जाने वाला निर्माण सुसंगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुरूप अर्ह स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवं वास्तुविद् द्वारा प्रमाणित डिजाइन के अनुसार ही होगा।

(ख) निर्माण का सुपरवीजन भी अर्ह वास्तुविद् की देखरेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन किया जायेगा। ताकि सुरक्षा की अपेक्षित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहे।

1. भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता, जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आबद्ध किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाएँ करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गई है, उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
2. भवन निर्माण में जो मुख्य निर्माण सामग्रियों सीमेण्ट, स्टील, स्टोनग्रिट, ईट कोस सैण्ड एवं मार्टर तथा कान्क्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी, की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक एवं रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।
3. निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी निरीक्षण एक स्वतन्त्र एक्सपर्ट द्वारा ही कराया जायेगा। क्रेता/आवंटियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय–समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(ग) यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का कार्य रूकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे और तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

(घ) कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 3 फुट X 4 फुट आकार का एक बोर्ड लगा होगा, जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्कीटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्यस्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेगा।

(1) नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।

(2) अनुमोदित प्रयोगशाला संस्थान द्वारा की गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ।

(3) अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त नींव; सुपर स्ट्रक्चरल की गणनाएँ एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।

(4) अधिकृत आर्कीटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवम् मुहरयुक्त समस्त वर्किंग डिजाइन जिसमें सेक्शन एवम् एलिवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे।

(5) भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी0 एण्ड पी0 का विवरण।

(6) साइट इन्जीनियर इन्सपेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर।

(7) सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवन् सम्बन्धित रजिस्टर।

(ङ) मुख्य अग्निशमन अधिकारी तथा पी0 डब्लयू0 डी0, नगर निगम, नजूल एवम् अन्य विभागों के अनापत्ति प्रमाणपत्रों में दी गई शर्तो का पालन करना होगा।

भवदीय

संलग्न : स्वीकृति मानचित्र

संख्या .... तद्दिनांक

आगरा विकास प्राधिकरण

7/12/2012

प्रतिलिपि–1 – कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम आगरा को सूचनार्थ।

2 – सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।

3 – मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं0................ दिनांक .... के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।

आगरा विकास प्राधिकरण

Scanned by CamScanner